



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252962
CG-DL-E-13032024-252962

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2024/फाल्गुन 23, 1945

No. 172]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2024/PHALGUNA 23, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सं. 21/2024- सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 185(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:----

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अतः स्थापित की जाएंगी, यथा :-

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 2क.	बिहार	बिहटा	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना ”

[फा. सं. 394/38/2021-Cus (AS)]

राधे कृष्ण, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 15/2024-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 27 फरवरी, 2024, सा.का.नि. 161(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th March, 2024

No. 21/2024-Customs (N.T.)

G.S.R. 185(E).— In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

S.No.	State/Union Territory	Place	Purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
“2A.	Bihar	Bihta	Unloading of imported goods and loading of export goods”.

[F. No. 394/38/2021-Cus (AS)]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note:- The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 15/2024-Customs (N.T.) dated the 27th February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 161 (E), dated the 27th February, 2024.